भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1004
सोमवार, 26 जुलाई, 2021/4 श्रावण, 1943 (शक)

कोविड की दूसरी लहर के दौरान बेरोजगारी

1004. श्री तापिर गावः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले छह महीनों के दौरान देश में रोजगार के अवसर कम हुए हैं और बेरोजगारी के प्रतिशत में भारी वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का कोविड की दूसरी लहर के दौरान बेरोजगार हो गए लोगों हेतु किसी प्रकार की वित्तीय सहायता देने का विचार है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) एवं (ख): रोजगार और बेरोजगारी पर वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। 2019-20 तक का वार्षिक पीएलएफएस आंकड़ा उपलब्ध है। वार्षिक पीएलएफएस के परिणामों के अनुसार, देश में वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर बेरोजगारी की दर क्रमशः 6.0%, 5.8% तथा 4.8% थी।

(ग) से (ङ): भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए अनेकों पहले की हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। ईपीएफओ के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कामगारों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, उन नए कर्मचारियों, जिनका मासिक वेतन 15000/- रुपए प्रतिमाह से कम है, के लिए कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत नए कर्मचारियों में वे कर्मचारी शामिल हैं जो कोविड-19 के दौरान अपना रोजगार खो चुके थे एवं 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे। इस *योजना* के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान किया है, जो कि 100 कर्मचारियों तक रखने वाले प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों, जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% है। इससे कोविड पश्च अवधि के दौरान ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार प्रदान कराने में सहायता मिली है।

नए रोजगार का सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्व में प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) को आरंभ किया गया था। इस योजना के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ के माध्यम से 15000/- रुपए तक कमाने वाले नए कर्मचारियों हेतु 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के अंशदान अर्थात् 12% का भुगतान कर रही है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को इस योजना के तहत पंजीकरण की तिथि से तीन वर्षों अर्थात् 31 मार्च, 2022 तक लगातार लाभ प्राप्त होगा।

पीएम स्व-निधि योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को कोविड पश्च अवधि के दौरान फिर से अपना व्यापार शुरू करने में सहायता करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाया है।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए, सरकार देश में पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) तथा प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जो कि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा संचालित की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है।

*****